दिनांक- 12.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 540/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

संगठित रूप से जुआ खिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 09 अभियुक्त गिरफ्तार

₹1 लाख 11 हजार 600/- नगद सहित भारी मात्रा में जुआ सामग्री बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संगठित अपराध एवं अवैध रुप से संचालित जुआ/सट्टा में संलिप्त अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर रविकांत गोंड के कुशल नेतृत्व में थाना कबरई पुलिस एवं जनपदीय SOG/सर्विलांस टीम को संगठित अपराध में संलिप्त गिरोह का भंडाफोड किया गया हैं।

दिनांक 11.08.2026 को जनपदीय SOG, सर्विलांस एवं थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर न्यू गणेश ग्रेनाइट क्रेशर के आगे जाने वाले खेतों की झाड़ियों के पास, ग्राम बीला उत्तर में दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा मौके पर संगठित रूप से जुआ खेलते/खिलाते हुए व्यक्तियों की घेराबंदी कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 04 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. प्रेम नारायण प्रजापति पुत्र देवीदीन निवासी चिचारा, थाना खन्ना, जनपद महोबा।
2. उमेश सोनी पुत्र सीताराम सोनी निवासी मुहल्ला मलखपुरा, कोतवाली नगर महोबा।
3. अनिल कुमार वर्मा पुत्र महेश कुमार निवासी मुहल्ला किदवई, कबरई।
4. राजकुमार कुशवाहा पुत्र सूरजभान निवासी जैतपुर, थाना कुलपहाड़।
5. मनीष पाण्डेय पुत्र जागेश्वर प्रसाद निवासी मुहल्ला इमलियाबाड़ा, कोतवाली नगर महोबा।
6. कृष्ण कुमार प्रजापति पुत्र मंगल प्रसाद निवासी मुहल्ला किदवई नगर, कबरई।
7. गणेश गुप्ता पुत्र कृष्ण गोपाल गुप्ता निवासी मुहल्ला मानिलिया पुरा, कोतवाली नगर महोबा।
8. अनीष पुत्र महकू निवासी मुहल्ला राजेन्द्र नगर, कबरई।
9. उत्तम सिंह पुत्र स्व. मंगल सिंह निवासी ग्राम खुजरिया पहरा, थाना कबरई, महोबा।

फरार अभियुक्त-

जहांगीर पुत्र अब्बास, बड़का ठाकुर उर्फ छत्रपाल पुत्र स्व. हाकिम सिंह, कल्लू कादू उर्फ मो0 हसन पुत्र स्व. सेखू तथा अम्बरीश पुत्र मुलायम सिंह मौके से फरार हो गए। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बरामदगी-

1. ₹1,11,600/- नगद
2. 52 अदद ताश के पत्ते
3. 04 गड्डी सील पैक ताश के पत्ते
4. 07 अदद मोबाइल फोन
5. 04 अदद मोटरसाइकिल
6. जुआ खेलने में प्रयुक्त अन्य सामग्री

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे संगठित होकर ताश के पत्तों से जुआ खेलते/खिलाते हैं तथा हार-जीत की बाजी लगाकर धन अर्जित करते हैं। बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कबरई में मु.अ.सं. 180/26 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 एवं धारा 112(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना कबरई पुलिस टीम-

1. SHO कबरई श्री सन्तोष कुमार सिंह
2. व0उ0नि0 संजय सिंह
3. उ0नि0 आशीष यादव
4. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
5. उ0नि0 मनोज कुमार मिश्र
6. का0 राजमणि गौतम
7. का0 राहुल कुमार
8. का0 अभिषेक कुमार
9. का0 आकाश सरोज

जनपदीय SOG/सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह
2. कां0 अभिषेक वर्मा
3. कां0 दीपक वर्मा
4. कां0 रंजीत सिंह
5. कां0 निर्भय सिंह
6. कां0 सत्यम सिंह जादौन
7. कां0 कुलदीप यादव
8. कां0 नीलेश
9. कां0 अभिषेक दुबे

महोबा पुलिस

दिनांक- 12.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 541/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 12.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 12.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 542/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब, जुआ, गांजा एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा दिनांक आज 12.08.2026 को क्षेत्र में देखभाल, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान सूपा-चरखारी सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहर पुलिया की पटरी, बहद कस्बा चरखारी थाना चरखारी जनपद महोबा से अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र जगदीश रैकवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम सालट थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 176/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तः

हरेन्द्र पुत्र जगदीश रैकवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम सालट थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगीः

एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा
2. हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया

दिनांक- 12.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 543/26

महोबा पुलिस

वामा सारथी महोबा के तत्वावधान में पुलिस परिवार की 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण एवं सर्वाइकल कैंसर जागरूकता शिविर आयोजित।

आज दिनांक 12.08.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा के आदेशानुसार एवं वामा सारथी महोबा के तत्वावधान में रिजर्व पुलिस लाइन महोबा के सभा कक्ष में पुलिस परिवार की 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं HPV टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उपस्थित डॉ. सुनील कुमार, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं श्री सुमित कुमार, सहायक शोध अधिकारी द्वारा पुलिस परिवार की 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा बालिकाओं एवं उनके परिजनों को HPV टीकाकरण की उपयोगिता, इसके महत्व तथा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि HPV संक्रमण सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है तथा HPV वैक्सीन इस संक्रमण से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किशोरावस्था में समय से टीकाकरण कराने से भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। इसी उद्देश्य से पुलिस परिवार की 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को टीकाकरण के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया गया।

शिविर के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, बचाव एवं समय से स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही HPV संक्रमण से संबंधित मुंह, गले एवं जननांगों के कैंसर के जोखिम के संबंध में जागरूक करते हुए आवश्यक सावधानियों एवं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की गई।

वामा सारथी महोबा द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य जागरूकता पहल का उद्देश्य पुलिस परिवार की महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना तथा गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए समय से आवश्यक टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना रहा।

इस अवसर पर पुलिस परिवार के सदस्यों द्वारा शिविर में बढ़-चढ़कर सहभागिता की गई तथा चिकित्सकीय टीम द्वारा दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को गंभीरता से समझा गया। शिविर के माध्यम से पुलिस परिवार में स्वस्थ जीवनशैली, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं बीमारियों की रोकथाम के प्रति जागरूकताबढ़ाने का संदेश दिया गया।